प्रधान जनगणना अधिकारी(आयुक्त) नगर निगम शिमला कार्यालय

भारत की जनगणना - 2027, मकानसूचीकरण और मकानों की गणना

संदर्भ संख्या: ननिशि/अति आयु/जनगणना/26- 1901 दिनांक: 14/08/26

प्रेस विज्ञप्ति

शिमला, हि.प्र. — भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त ने नवीनतम अधिसूचना और रूपरेखा जारी की है, जिसके माध्यम से जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के परिचालन ढांचे की घोषणा की गई है।

शिमला शहर का पूरा राजधानी क्षेत्र एक बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए सभी नगर निगम शहरी वार्डों में ***जनसंख्या गणना (PE) अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर, 2026 तक चलाया जाएगा।*** यह शीतकाल-पूर्व का कार्यक्रम सर्दियों के मौसम में फील्ड के जोखिमों को समाप्त करता है ताकि इस ऐतिहासिक, पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होने वाली जनगणना के लिए 100% परिवारों को शामिल करना सुनिश्चित किया जा सके।

घर-घर जाकर की जाने वाली भौतिक गणना में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण के रूप में, ***एक विशेष केंद्रीय डिजिटल पोर्टल 17 अगस्त से 31 अगस्त, 2026 तक ऑनलाइन स्व-गणना (Self-Enumeration) के लिए एक वैकल्पिक विंडो खोलेगा।*** नगर निगम की सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस अवधि के दौरान डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण पंजीकृत करें और एक अद्वितीय प्री-वेरिफिकेशन (पूर्व-सत्यापन) कोड जेनरेट करें। ***सितंबर महीने में चलने वाले फील्ड अभ्यास के बाद, जनगणना पर्यवेक्षक जन्म, मृत्यु और प्रवास के बदलावों को दर्ज करने के लिए 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, 2026 तक एक आधिकारिक पुनरीक्षण दौर (revisional round) चलाएंगे।***

नगर निगम शिमला ने सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपने लॉजिस्टिकल ब्लॉकों को पुनर्गठित किया है और सूक्ष्म स्तर के गणना ब्लॉकों (EBs) को अंतिम रूप दिया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र का प्रभावी ढंग से मानचित्रण करने के लिए प्रति ब्लॉक अधिकतम 700 व्यक्तियों की सीमा तय की गई है। 100% डिजिटल डेटा ढांचे को अपनाने से कागजी विसंगतियां समाप्त होती हैं और एन्क्रिप्टेड सर्वर की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ***हम शिमला नगर निगम क्षेत्र के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि वे 17 अगस्त, 2026 से शुरू होने वाले आगामी स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से सक्रिय रूप से भाग लें।***

आधिकारिक जनगणना मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सुरक्षित रूप से एकत्र किए गए सभी डेटा बिंदु जनगणना अधिनियम, 1948 के वैधानिक प्रावधानों के तहत पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड और गोपनीय रहेंगे। फील्ड से संबंधित किसी भी पूछताछ, स्व-गणना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तकनीकी त्रुटियों, या ब्लॉक सीमा के स्पष्टीकरण के लिए नागरिक सीधे नगर निगम शिमला मुख्यालय में चार्ज ऑफिसर (अधीक्षक सामान्य) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

प्रधान जनगणना अधिकारी(आयुक्त)
नगर निगम शिमला।

पृष्ठांकन संख्या: यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक, जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश, शिमला को सादर सूचनार्थ।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क (IPR), हिमाचल प्रदेश को इस समयबद्ध ढांचे के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर व्यापक और तत्काल प्रचार-प्रसार हेतु सादर प्रेषित।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी, शिमला को इस समयबद्ध ढांचे के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर व्यापक और तत्काल प्रचार-प्रसार हेतु सादर प्रेषित।
5. सभी वार्ड पार्षद / वार्ड पर्यवेक्षक, नगर निगम शिमला को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नागरिकों को व्यापक प्रचार-प्रसार और डिजिटल साक्षरता सहायता सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने हेतु।
6. चार्ज ऑफिसर- (अधीक्षक सामान्य), नगर निगम शिमला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
7. आईटी प्रभारी, नगर निगम शिमला को निर्देश के साथ कि इस प्रेस विज्ञप्ति को आज ही बिना किसी देरी के शिमला नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।

प्रधान जनगणना अधिकारी(आयुक्त)
नगर निगम शिमला।

OFFICE OF THE PRINCIPAL CENSUS OFFICER

Census of India - 2027, Houselisting and Housing Census

Ref. No.: MCS/AC/Census/28-1900 Date: 14/08/26

PRESS NOTE

SHIMLA, HP — The Registrar General and Census Commissioner of India has issued the latest notification and framework vide which the operational framework for ***Phase II of Census 2027*** has been announced.

The entire capital region of Shimla city is a snow bound area, the ***Population Enumeration (PE) drive across all municipal urban wards will be conducted from September 1 to September 30, 2026.*** This pre-winter schedule eliminates cold-weather field risks to guarantee 100% household coverage for this historic, first-ever fully digital census.

As a critical preliminary phase to fast-track house-to-house physical enumeration, a specialised central digital portal will open an ***optional window for online Self-Enumeration from August 17 to August 31, 2026***. All citizens residing within the municipal boundaries are encouraged to register their family particulars via this digital portal during this window to generate a unique pre-verification code. Following the field exercise throughout September, Census Supervisors will carry out an official ***revisional round from October 1 to October 5, 2026***, to capture births, deaths, and migration changes.

The Municipal Corporation Shimla has reorganised its logistical blocks to ensure precision and has finalised micro-level Enumeration Blocks (EBs) strictly capped at a maximum of 700 individuals per block to map out our mountain terrain effectively. Transitioning to a 100% digital data framework eliminates paper discrepancies and ensures encrypted server safety.. *We appeal to all residents of the Shimla Municipal Area to participate actively via the upcoming **self-enumeration portal starting August 17, 2026."***

All data points collected securely via the official Census mobile applications remain completely encrypted and confidential under the statutory provisions of the Census Act, 1948. For any field queries, technical errors on the self-enumeration digital platform, or block boundary clarifications, citizens can directly reach out to the office of the Charge Officer-cum-Superintendent General at the Municipal Corporation Shimla headquarters.

Principal Census Officer-cum-Commissioner
District Shimla / Municipal Corporation Shimla

Endst. No. As Above

Copy forwarded to:

1. The Principal Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla for kind information.
2. The Director of Census Operations, Himachal Pradesh, Shimla for kind information.
3. The Director, Information & Public Relations (IPR), Himachal Pradesh, for favour of wide and immediate publicity across electronic, print, and digital media to match the time-bound framework please.
4. The District Public Relation Officer, Shimla for favour of wide and immediate publicity across electronic, print, and digital media to match the time-bound framework.
5. All Ward Councillors / Ward Supervisors, Municipal Corporation Shimla, for wide publicity and digital literacy assistance to citizens in their respective jurisdictions on a top-priority basis.
6. The Charge Officer-cum-Superintendent General, Municipal Corporation Shimla, for information and compliance.
7. IT In-charge, Municipal Corporation Shimla, with the direction to upload press note on the official website of Shimla MC immediately today without delay.
8. Guard File.

Principal Census Officer-cum-Commissioner
District Shimla / Municipal Corporation Shimla